परिवहन विभाग

हर सफर का हमसफ़र...

ऑनलाइन जमा करें टॉल प्लाजा पर ऑटोमेटेड कटे इ-चालान की राशि

परिवहन विभाग

- विभिन्न टॉल प्लाजा पर सात अगस्त से 22 अगस्त तक कुल 17349 वाहनों का इ-डिटेक्शन से ऑटोमेटिक इ-चालान निर्गत किये गये हैं
- परिवहन विभाग के लिंक मे दी गयी सुविधा

संवाददाता, पटना

राज्य के विभिन्न टॉल प्लाजा पर इ-डिटेक्शन के माध्यम से कटे ऑटोमेटिक इ-चालान की राशि घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. परिवहन विभाग ने आम लोगों की सुविधा के लिए एनआइसी के सहयोग से विभाग के वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट की सेवा शुरू की है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से टॉल प्लाजा पर कटे ऑटोमेटिक इ-चालान का पैसा ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यह समस्या समाप्त हो गयी. मंगलवार से ऑनलाइन इ-चालान की राशि जमा होने लगी है.

इ-चालान की राशि जमा करने के लिए बना नया हेड : टॉल प्लाजा पर इ-डिटेक्शन के माध्यम से कटे ऑटोमेटिक इ- चालान की राशि जमा करने के लिए नया हेड क्रिएट कराया गया है. सचिव ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है और इस सुविधा के शुरू होने से हमें यह उम्मीद है कि लोगों को अपने चालान का पैसा जमा करने में आसानी होगी.

17 हजार से अधिक वाहनों का कटा चालान : वाहन का फिटनेस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन फेल होने पर मोटरवाहन नियमावली के तहत विभिन्न टॉल प्लाजा पर सात अगस्त से 22 अगस्त तक कुल 17349 वाहनों का इ-डिटेक्शन के माध्यम से ऑटोमेटिक इ- चालान निर्गत किया गया है.

इ-चालान की राशि कैसे करें ऑनलाइन जमा : parivahan.gov.in/parivahan/ या echallan.gov.in/index/accused-challan)पर जाकर ऑनलाइन जुर्माना राशि जमा कर सकते हैं. चालान नंबर या व्हीकल नंबर या डीएल नंबर इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन के आधार पर इ- चालान की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है.

@IPRDBihar

BiharTransportDept